न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 198/2023 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. शेम्भूराम पुत्र पुनमाराम 2. श्रवणकुमार पुत्र पुनमाराम 3. हरखाराम पुत्र पुनमाराम 4. भोजारामं पुत्र पुनमाराम 5. उगाराम पुत्र पुनमाराम 6. अजाराम पुत्र मुकनाराम 7. पनाराम पुत्र मुकनाराम 8. मगाराम पुत्र आतम जाति मेघवाल, निवासी रामपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. सरपंच, ग्राम पंचायत कोटड़ा

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, शिव)

–:: आदेश ::–

दिनांक :- 03.07.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा रामपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 660/541 रकबा 28.9837 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी के सेढासेढ ही विप्रार्थीगण के आधिपत्य के खेत खसरा नम्बर 543/462, 542/462, 544/462 रकबा क्रमशः 0.1619, 0.8094, 0.1214 हैक्टेयर आये हुए है। पूर्व में उक्त सम्पूर्ण भूमि एकल प्रार्थीगण की खातेदारी थी, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा 0.8094 हैक्टेयर भूमि आबादी हेतु आरक्षित करवाई गई है तथा 0.1214 हैक्टेयर भूमि सामूदायिक सभा भवन रामपुरा के पक्ष में समर्पण करवाई गई है एवं 0.1619 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु समर्पण करवाई गई है। भूमि का उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद भी हो चुका है। वर्तमान में प्रार्थीगण को जब आबादी भूमि में पट्टे जारी करवाने हेतु पटवारी के पास गये तब सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि आबादी भूमि एवं सामूदायिक सभा भवन तथा रास्ते की तरमीम मौका स्थिति से अलग कर दी गई है। उक्त गलत तरमीम से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका मुआयना किये तरमीम कर दी जाने से उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 660/541, 543/462, 542/462, 544/462 में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। उक्त विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित मौतबिरान द्वारा मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट में मौके पर उपस्थित मौतबिरान् द्वारा तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामपुरा, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 660/541 रकबा 28.9837 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण के आधिपत्य के खसरा नम्बर 543/462, 542/462, 544/462 रकबा क्रमशः 0.1619, 0.8094, 0.1214 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 03.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner